उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण

पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी एफएक्यू (Frequently Asked Question) डॉक्यूमेंट या आरपीएस (Rapid Privatization System) डॉक्यूमेंट ?

पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी एफएक्यू डॉक्यूमेंट निजीकरण का और छंटनी का दस्तावेज है। एफएक्यू शब्द निजी घरानों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है ऐसा लगता है कि एफएक्यू डॉक्यूमेंट निजी कंपनियों द्वारा बनाया गया है जिन्हें पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम सौंपा जाना पूर्व नियोजित है।

संघर्ष समिति ने एफएक्यू के बिंदुवार जवाब जारी किया है जो कि निम्नवत है :–

प्रश्न–1 क्या सरकार ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण कर रही है?

उत्तर– एफएक्यू डॉक्यूमेंट में खुद स्वीकार किया गया है कि पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी। निजीकरण की यही कानूनी परिभाषा है जिसे पावर कारपोरेशन ने खुद स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न–2 ऊर्जा वितरण क्षेत्र में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों?

उत्तर– वर्ष 2000 में विद्युत परिषद के विघटन के समय सालाना घाटा मात्रा 77.47 करोड़ रुपए था। 25 जनवरी 2000 के समझौते में बिंदु संख्या 11 पर स्पष्ट लिखा गया है कि 1 वर्ष के बाद उपलब्धियों का मूल्यांकन कर यदि आवश्यक हुआ तो राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा।

लगभग 24 वर्ष के बाद पावर कॉरपोरेशन में आईएएस प्रबंधन की विफलता के चलते घाटा 1 लाख 10 हजार करोड रुपए तक पहुंच गया है। अतः रिफॉर्म के नाम पर 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुसार राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाना सुनिश्चित किया जाए न कि निजीकरण।

प्रश्न–3 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में ही रिफॉर्म क्यों किया जा रहा है?

उत्तर– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में एवरेज कॉस्ट ऑफ़ सप्लाई और एवरेज रिवेन्यू रिलाइज्ड का अंतर क्रमशः रू0 4.33 प्रति यूनिट एवं रू0 3.99 प्रति यूनिट बताया जा रहा है। दशकों से इन निगमों के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी अवैधानिक ढंग से नियुक्त किए जाते रहे हैं। इस घाटे की भरपाई हेतु जिम्मेदार इन अधिकारियों से वसूली का नोटिस जारी किया जाए क्योंकि अभियंता और अवर अभियंता का कॉमन कैडर है जिन्होंने ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को मुनाफे में पहुंचाया है, केस्को, पश्चिमांचल और मध्यांचल विद्युत वितरण निगमों में उल्लेखनीय सुधार किया है। अतः स्पष्ट है कि घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों की नहीं, अनुभवहीन अकुशल प्रबंधन की है।

प्रश्न–4 क्या प्रदेश के अन्य तीन डिस्कॉम में भी रिफार्म किया जाना प्रस्तावित है? क्योंकि यह तीनों डिस्कॉम भी घाटे में चल रहे हैं?

उत्तर– एक बार पूर्वांचल व पश्चिमांचल डिस्कॉम निजी कंपनी को दे दिए गए तो शेष संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का मार्ग तीव्र गति से प्रशस्त होगा।

प्रश्न 5. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में PPP Model का क्या स्वरूप होगा?

उत्तर– 51 प्रतिशत इक्विटी निजी क्षेत्र को देने के बाद यह पूरी तरह निजी कंपनी बन जाएगी। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड में 51 प्रतिशत इक्विटी निजी कंपनी की है यहां पर भी कंपनी का चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी का वीसी होता है। इसलिए यह कहना कि नई बनने वाली कंपनियों का चेयरमैन यदि मुख्य सचिव हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह निजीकरण के अलावा अन्य कुछ नहीं है।

प्रश्न 6 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के पास क्या विकल्प रहेंगे?

उत्तर– प्रबंधन ने खुद बता दिया है कि कार्मिकों के लिए तीन विकल्प होंगे :–

i. निजी कंपनी के कर्मचारी बन जाएं।

ii. यूपीपीसीएल या अन्य डिस्कॉम में वापस चले जाएं।

iii. वीआरएस ले ले।

यह तीनों विकल्प ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की सेवा–शर्तों को कमतर करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 133 का खुला उल्लंघन है। सरकारी कंपनी के कर्मचारी निजी कंपनी के कर्मचारी क्यों बन जाए। यूपीपीसीएल और अन्य डिस्कॉम में वापस आने पर सरप्लस हो जाए और वी आर एस लेकर घर चले जाएं। यदि यह सब इतना आकर्षक है तो ऊर्जा निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इन विकल्पों को खुद क्यों नहीं स्वीकार कर लेते।

प्रश्न–7 क्या पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम के आमेलित कार्मिकों को भी उपरोक्त विकल्प चयन की सुविधा होगी?

उत्तर– पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के आमेलित कार्मिकों को यूपीपीसीएल या अन्य डिस्कॉम में आने का विकल्प किसी नियम या एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। प्रबंधन का वक्तव्य झूठ है गुमराह करने वाला है। आमेलित कर्मियों की छंटनी होगी।

प्रश्न–8 क्या उपरोक्त विकल्पों का चयन तत्काल करना होगा?

उत्तर– पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम को निजी क्षेत्र में दिए जाने के बाद कार्मिकों को 01 साल तक वहां जबरिया तैनात रखना पूरी तरह गलत और मनमानापन होगा। सरकारी डिस्कॉम के कर्मचारी निजी कंपनियों में 1 साल काम करके उनकी हायर और फायर की एच आर पॉलिसी जानकर क्या करेंगे? निहितार्थ साफ है कि या तो निजी कंपनी के कर्मचारी बन जाएं या छंटनी के लिए तैयार हो जाएं।

प्रश्न–9 यदि रिफार्म में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के सभी कार्मिकों द्वारा उप्र पावर कारपोरेशन का चयन कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जायेगा?

उत्तर– प्रबंधन का यह कहना है कि निजीकरण के बाद सभी कार्मिकों के निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी क्षेत्र के डिस्कॉम में वापस आने की संभावना अतिक्षीण है, पूर्णतया निराधार और निजी कंपनी के प्रवक्ता की तरह दिया गया वक्तव्य है।

जैसा ऊपर समझाया जा चुका है सरप्लस होने के बाद छंटनी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रश्न–10 नई कम्पनियों में ही रहने वाले कार्मिकों के विकल्प का चयन करने वाले कार्मिकों की सेवा–शर्तों व अन्य लाभ कैसे सुरक्षित रहेंगे? यदि नयी कम्पनी Merge हुए कार्मिकों के लिए किये गये प्राविधानों से मुकर गयी तो क्या होगा?

उत्तर– निजी कंपनी में जाने के बाद कार्मिकों की सेवाशर्तों व अन्य लाभ कभी सुरक्षित नहीं रहते। टोरेंट पावर कंपनी ने आगरा में और नोएडा पावर कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में एक भी कर्मचारी को अपने यहां नहीं रखा। दिल्ली और उड़ीसा में निजी कंपनी के आने के बाद वीआरएस के नाम पर बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में कर्मचारियों की छंटनी की गई है। आये दिन दिल्ली और उड़ीसा में इन कार्मिकों का शोषण हो रहा है।

प्रश्न–11 क्या VRS का विकल्प पावर कारपोरेशन के अन्य समस्त कार्मिकों को भी मिलेगा?

उत्तर– वीआरएस के विकल्प का मतलब है छंटनी। वी आर एस नौकरी नहीं, अपितु नौकरी से रिटायर होना होता है।

प्रश्न–12 क्या VRS के विकल्प के चयन के बाद कार्मिक तत्काल अन्य नौकरी ज्वाईन कर सकता है?

उत्तर– इससे भद्दा मजाक और कुछ नहीं हो सकता कि वीआरएस के नाम पर छंटनी होने के बाद अपनी सीनियॉरिटी गवांकर कहीं और जाकर सेवा ज्वाइन कर सके।

प्रश्न–13 नई कम्पनी में जाने का विकल्प चुनने वाले पेंशन सुविधा के कार्मिकों के पेंशन दायित्व को किस प्रकार सुरक्षित रखा जायेगा।

उत्तर– कर्मचारियों के पेंशन का अंशदान पावर कॉरपोरेशन या संबंधित वितरण कंपनियां करती हैं। निजी कंपनियां इन कार्मिकों के पेंशन का अंशदान क्यों करेगी। जहां भी निजीकरण हुआ है वहां निजी कंपनियां इस जिम्मेदारी को नहीं उठा रही हैं जिससे कर्मचारियों को दर–दर ठोकरे खानी पड़ रही हैं।

प्रश्न–14 रिफार्म से पावर कारपोरेशन के कार्मिकों की कार्यकुशलता एवं दक्षता कैसे बढ़ेगी?

उत्तर– निजीकरण के बाद नोएडा पावर कंपनी और टोरेंट पावर कंपनी के बारे में बढ़–चढ़कर यही बात कही जा रही थी कि यह कंपनियां भारी पूंजी निवेश करेगी। इसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। आगरा और ग्रेटर नोएडा में हुए भारी घोटाले पर कई बार सीएजी ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा का है जहां अमेरिका की एईएस कंपनी ने सुपर साइक्लोन आने के बाद बिजली का ढांचा बनाने से मना कर दिया था और कंपनी अमेरिका भाग गई थी। रिलायंस की शेष तीन कंपनियों के लाइसेंस इस आधार पर फरवरी 2015 में उड़ीसा नियामक आयोग रद्द कर चुकी है। निवेश के नाम पर प्रबंधन ऐसे गुमराह कर रहा है मानो निजी कंपनी से प्रबंधन की कोई सांठ–गांठ हो चुकी है।

प्रश्न–15 पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम में रिफार्म के उपरान्त पुराने बकाये पर किसका अधिकार होगा एवं इसकी किस प्रकार वसूली सुनिश्चित की जायेगी?

उत्तर– निजीकरण के पहले के राजस्व की वसूली दरअसल घोटाले और बंदर बांट की सबसे बड़ी रकम होती है। टोरेंट पावर कंपनी ने आगरा में राजस्व का 2200 करोड रुपए, टोरेंट पावर कंपनी ने भिवंडी में राजस्व का 3000 करोड रुपए और जहां कहीं पर फ्रेंचाइजी या निजीकरण हुआ वहां निजी कंपनी ने राजस्व का एक भी पैसा वापस नहीं किया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल का 66 हजार करोड़ रूपये राजस्व का बकाये की निजीकरण के बाद लूट होने वाली है।

प्रश्न–16 क्या नई कम्पनी को भूस्वामित्व भी दिया जायेगा जिससे वो इनका निजी हित में अन्य प्रयोग कर लाभ कमा सके?

उत्तर– भारत सरकार के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के मसौदे के अनुसार अरबों–खरबों रुपए की जमीन मात्र 1 रूपये में 99 वर्ष की लीज पर दी जानी है। निजी कंपनी का भू स्वामित्व नहीं होगा यह कहने का प्रबंध का आशय क्या है? जब निजी कम्पनी को मात्र 1 रूपये में सारी जमीन दे दी जायेगी।

प्रश्न–17 क्या प्रदेश के उत्पादन और पारेषण निगमों का भी निजीकरण किया जा रहा है?

उत्तर– एक बार पूर्वांचल में दक्षिणांचल डिस्कॉमों का निजीकरण हो गया तो उत्पादन और ट्रांसमिशन का निजीकरण कोई नहीं रोक सकता, यह सब हम अच्छी प्रकार से समझते हैं।

उत्पादन निगम में पहले ही 2x800 मेगावाट क्षमता की ओबरा–डी और 2x800 मेगावाट क्षमता की अनपरा–ई परियोजना उत्पादन निगम की कॉलोनी तोड़कर एनटीपीसी को दी जा चुकी है। विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण होते ही एक एम ओ यू के जरिए पूरा अनपरा और पूरा ओबरा एनटीपीसी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। राजस्थान में 2320 मेगावाट क्षमता का छाबड़ा सुपर थर्मल परियोजना पिछले सप्ताह एनटीपीसी के हवाले कर दिया गया है। राजस्थान उत्पादन निगम का दूसरा सबसे बड़ा 2000 मेगावाट क्षमता का झालावाड़ सुपर थर्मल परियोजना कोल इंडिया के हवाले किया जा रहा है। राजस्थान में विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेंडर के तुरंत बाद यह सब दिया गया है।

पारेषण का टैरिफ बेस्ड बिडिंग के नाम पर व्यापक पैमाने पर निजीकरण हो चुका है। एक एम0ओ0यू0 के माध्यम से शेष पारेषण किसी भी दिन हैंडओवर कर दिया जाएगा।

प्रश्न–18 उप्र पावर कारपोरेशन अपने कार्मिकों के हितों के लिए और क्या कदम उठ रहा है?

उत्तर– जॉइंट वेंचर कंपनी जिनका प्रबन्धन एनटीपीसी या नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के पास है वहां 50 प्रतिशत कार्मिकों के डेपुटेशन पर जाने की बात पूरी तरह झूठ और कपोल कल्पित है। जॉइंट वेंचर में भारतवर्ष में कहीं पर इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति नहीं होती है। मजेदार बात यह है कि जब विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण हो रहा है तभी यह प्रतिनियुक्ति की बात अचानक प्रबंधन को कैसे याद आई। मेजा, घाटमपुर और बिल्हौर में 17–18 साल से जॉइंट वेंचर कम्पनी चल रही है। सवाल यह है कि उत्पादन निगम का एक भी कर्मचारी आज तक प्रतिनियुक्ति पर क्यों नहीं लिये गये।

एफएक्यू डॉक्यूमेंट झूठ का पुलिंदा है और निजीकरण का डॉक्यूमेंट है।